4.06.2020

Dr. purnima singh
Department of political Science
B.A part II paper III Indian government and politics. Topic - Constitution 6
Lecture - 51

भारतीय संविधान के स्रोत (Sources of the Indian Constitution) - 2

(I) जन्म सम्बन्धी स्रोत (seminal sources)

1. 1948 का मसौदा संविधान —
मसौदा समिति ने 21 फरवरी, 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को संविधान का मसौदा (Draft Constitution) प्रस्तुत किया। संविधान के मसौदे में 315 अनुच्छेद (Articles) और 8 अनुसूचियाँ (schedules) थी। 26 जनवरी, 1950 को लागू होने वाले भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत यह मसौदा संविधान ही है।

2. भिन्न-भिन्न समितियों की रिपोर्ट (Report of Different Committees) - संविधान सभा ने मसौदा समिति की नियुक्ति से पूर्व अनेक प्रकार की समितियाँ नियुक्त की थी।
कुछ मुख्य समितियाँ इस प्रकार थी—

(1) संघीय शक्तियों की समिति (Union powers Committee)
(2) संघीय संविधान समिति (Union Constitution Committee)
(3) प्रान्तीय संविधानों के सम्बन्ध में समिति (Provincial Constitution Committee)
(4) अल्पसंख्यकों तथा मौलिक अधिकार से सम्बन्धित परामर्शदात्री समिति (Advisory Committee on minorities and Fundamental Rights)

(5) संघ तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों की समिति (A committee on Financial Relations between union and states)

3. 1935 का भारत सरकार अधिनियम (Govt. of India Act, 1935) –

1935 का एक भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। यद्यपि यह एक्ट (Act) इंग्लैंड की संसद ने पारित किया था, तथापि भारतीय समिति (Drafting Committee) ने 1935 एक्ट के अनेक को आपातकालीन शक्तियों पर इस अधिनियम की विशेष छाप दिखाई देती है। वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 352, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति को बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण (External Aggression and Armed rebellion) आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की शक्ति दी गई है, 1935 एक्ट के Section 102 का रूप है। इसी प्रकार, भारत के संविधान का अनुच्छेद 356, जिसके अन्तर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र या मशीनरी असफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, 1935 के एक्ट के सेक्शन 93 से मिलता जुलता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा करते समय भी संविधान निर्मात्री, 1935 के अधिनियम के प्रभाव से अछूते न रहे। 1935 के एक्ट के अन्तर्गत केन्द्र और प्रान्तों में वैधानिक शक्तियों (Legislative powers) का बंटवारा करने के विषय में तीन सूचियाँ अंकित की गई थी –

1. संघ सूची (Union list)
2. प्रान्तीय सूची (State list)
3. समवर्ती सूची (Concurrent list)

इसी प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन करने के विषय में ऐसी ही तीन सूचियाँ अंकित की गई है। 1935 के एक्ट (Act) के अधीन केन्द्र में द्वि-सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान संविधान के अन्तर्गत भी Parliament के दो सदन है - लोक सभा (Loc sabha) और राज्य सभा (Rajya Sabha)। लोक सभा निचला सदन है और राज्य सभा ऊपरी सदन है। 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के 11 प्रान्तों से ले 6 प्रान्तों में द्वि-सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। स्वतंत्र भारत के संविधान के अधीन भी कुछ राज्यों में द्वि-सदनीय (Bi-Cameralism) की व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आज भी विधानमंडल के दो सदन है। पहले सदन को विधान सभा (Legislative Assembly) तथा दूसरे सदन को विधान परिषद (Legislative Council) का नाम दिया गया था। ~~आन्ध्र प्रदेश विधान सभा ने भी प्रस्ताव पास किया है कि~~

4. 1928 की नेहरू रिपोर्ट (Nehru Report, 1928)

स्वतंत्रता से पूर्व 28 फरवरी 1928 को भारतीय राजनीतिक दलों का एक संयुक्त अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन में 8 सदस्यों की एक समिति बनाई गयी थी। जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है।

नोट

5. अन्य देशों की संवैधानिक प्रणालियाँ

भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और सर्वोच्च न्यायालय की कार्य-प्रणाली पर U.S.A के संविधान का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रतीत होता है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त आयरलैंड के संविधान से, संघात्मक संगठन कनाडा के संविधान से, संशोधन करने की विधि और राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। अतः अन्य देशों की शासन प्रणालियों का स्वतंत्र भारत के संविधान का महान स्रोत माना जाता है।

6. उद्देश्य सम्बन्धी प्रस्ताव (Objective Resolutions)
7. संविधान सभा के वाद-विवाद (Debates of Constituent Assembly)

(6) विकासवादी स्रोत
(1) संवैधानिक संशोधन
(2) संसद के कानून
(3) न्यायिक निर्णय
(4) परम्पराएँ